



डॉ० राममनोहर लोहिया अक्ष विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक : सा०प्र० / लो०अ०वि०-59 / 2022

दिनांक : फरवरी-08, 2022

कार्यालय-आदेश

एतद्वारा सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या: 84/सत्तर-3-2022-08(20)/2020, दिनांक 12 जनवरी, 2022 के माध्यम से कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं यथावश्यक 50 प्रतिशत साप्ताहिक रोस्टर के अनुरूप कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था। तदक्रम में विश्वविद्यालय के कार्यालय-आदेश पत्रांक:सा०प्र०/लो०अ०वि०-33/2022, दिनांक 13.01.2022 द्वारा विश्वविद्यालय समूह "ग" तथा "घ" वर्ग के कर्मचारियों हेतु 50 प्रतिशत साप्ताहिक रोस्टर लागू किया गया था।

उक्त के क्रम में आदेशानुसार 50 प्रतिशत साप्ताहिक रोस्टर को समाप्त करते हुए विश्वविद्यालय में समस्त गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य की जाती है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयकों को सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव।
3. सहायक अभियन्ता/सम्पत्ति अधिकारी को विश्वविद्यालय में साफ-सफाई व नियमित रूप से सेनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु।
4. समस्त, प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान सहायक/प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. मीडिया प्रभारी।
7. निजी सचिव, कुलपति को, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
8. पत्रावली।

कुलसचिव